

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14-10-2013 एवं 15-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 नागेन्द्र ना0 सिंह, ग्राम+पो0-गम्हरिया, था0-सिहेश्वर वर्तमान-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 125/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली- 1962 के नियम -63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त- 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1984(सिहेश्वर थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी, पूछे गए कारण पृच्छा का जवाब या अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन है, जो शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 नागेन्द्र ना0 सिंह, ग्राम+पो0-गम्हरिया, था0-सिहेश्वर वर्तमान-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1984(सिहेश्वर थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 नागेन्द्र ना0 सिंह, ग्राम+पो0-गम्हरिया, था0-सिहेश्वर वर्तमान- गम्हरिया, जिला- मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र संख्या- 6084 सी0/9 गम्हरिया थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ज्ञापांक.....161...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....31-3-14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, सिहेश्वर/ गम्हरिया/ बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 नागेन्द्र ना0 सिंह, ग्राम+पो0-गम्हरिया, था0-सिहेश्वर वर्तमान-गम्हरिया, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

31/03/14
404870
31/03/14

etc